जगदीश बनाम जोधी वगै0
वाद सं0 81 / 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.
राजस्व वाद संख्या :– 81 / 2025 दायर तारीख :– 30.05.2025
जगदीश पुत्र नाथू जाति अहीर निवासी धोल्या का बास तह0 कि0 रेनवाल

वादी

बनाम

1. जोधी पत्नी छाजूराम जाति अहीर निवासी धोल्या का बास
2. जोरावर सिंह पुत्र मदनसिंह जाति चारण निवासी बाघावास
3. मदनसिंह पुत्र विजयदान जाति चारण निवासी बाघावास
4. यूको बैंक शाखा कि0 रेनवाल जरिये प्रबन्धक
5. राज0मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाघावास जरिये प्रबन्धक
6. तहसीलदार तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता वादी
श्री मुकेश वर्मा प्रतिवादी संख्या 1 ता0 3
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 20.08.25

1. वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ल0 3 की सयुंक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1588 रकबा 5.7282 हैक्टैयर वाके ग्राम धोल्या का बास पटवार हल्का बाघावास तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 7/16 हिस्सा है। जो इसी प्रकार अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ल0 03 ने आपसी सहमति से मनबट के आधार पर मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि अविभाजित आराजी है। जिसका विधिक रूप से विभाजन नहीं हो रखा है। इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 ल0 03 को कई बार वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ल0 03 हमेशा आश्वस्त किया गया है कि समय मिलने पर मौके पर काबिज काश्त के अनुसार विभाजन करवा लेगें लेकिन आज तक वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं करवाया वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं होने से भविष्य में सीव मेड व कब्जे काश्त को लेकर वाद विवाद होने की संभावना रहती है। इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि का विभाजन विधिक रूप से करवाना चाहता है। वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं होने से वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 ल0 03 को जब दिनांक 20.05.2025 को विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ल0 03 ने इंकार कर दिया। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 3 की ओर से वकील मुकेश वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील राहुल शर्मा ने अण्डरटेकिंग ली । जो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

फार्मल पार्टी हैं प्रतिवादी संख्या 5 फार्मल पार्टी है। प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार सरकार है।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी पेश की।
4. प्रकरण दिनांक 02.07.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस वादी व प्रतिवादीगण ,पैरोकार सरकार को सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। दौराने बहस वादी तथा मुताबिक वकील प्रतिवादीगण की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।

वाकै ग्राम धोल्या का बास तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	
1	जगदीश पुत्र नाथू जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाघावास पुर	1588/1	1.4320	बारानी–1
		कुल–1	1.4320	
2	जोधी पत्नी छाजूराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा कि0 रेनवाल	1588/4	1.4321	बारानी–1
		कुल–1	1.4321	
3	जोरावर सिंह पुत्र मदनसिंह जाति चारण सा0 देह खातेदार	1588/2	0.3580	बारानी–1
		कुल–1	0.3580	
4	मदनसिंह पुत्र विजयदान जाति चारण सा0 देह खातेदार	1588/3	2.5061	बारानी–1
		कुल–1	2.5061	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/8/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा) आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

जगदीश बनाम जोधी वगै0
वाद सं0 81/2025

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल
बइजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.
जगदीश पुत्र नाथू जाति अहीर निवासी धोल्या का बास तह0 कि0 रेनवाल

वादी

बनाम

1. जोधी पत्नी छाजूराम जाति अहीर निवासी धोल्या का बास
2. जोरावर सिंह पुत्र मदनसिंह जाति चारण निवासी बाघावास
3. मदनसिंह पुत्र विजयदान जाति चारण निवासी बाघावास
4. यूको बैंक शाखा कि0 रेनवाल जरिये प्रबन्धक
5. राज0मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाघावास जरिये प्रबन्धक
6. तहसीलदार तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नंबर 81/2025

य यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मण सिह खंगारोत . मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री मुकेश वर्मा पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाकै ग्राम धोल्या का बास तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित शामलात भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।

वाकै ग्राम धोल्या का बास तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	
1	जगदीश पुत्र नाथू जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाघावास	1588/1	1.4320	बारानी–1
		कुल–1	1.4320	
2	जोधी पत्नी छाजूराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा कि0 रेनवाल	1588/4	1.4321	बारानी–1
		कुल–1	1.4321	
3	जोरावर सिंह पुत्र मदनसिंह जाति चारण सा0 देह खातेदार	1588/2	0.3580	बारानी–1
		कुल–1	0.3580	
4	मदनसिंह पुत्र विजयदान जाति चारण सा0 देह खातेदार	1588/3	2.5061	बारानी–1
		कुल–1	2.5061	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 20/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

मुहर

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल